



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 126-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 26, 2019 (SRAVANA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जुलाई, 2019

संख्या 18/114/2019-3क1 :- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, नगर निगम, अम्बाला से परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा नगर निगम, अम्बाला की वर्तमान सीमाओं से सदर बाजार जोन के क्षेत्र को निकालते हुए तथा नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट नगर निगम अम्बाला शहर के साथ लगते 12 गांव (11 ग्राम पंचायतें) अर्थात् डंगडेहरी, निजामपुर, मनकपुर, लोहगढ़, कालु माजरा, लिहारसा, घेल कलां, घेल खुर्द, कांवला तथा कांवली, देवी नगर तथा डडियाणा को नगर निगम, अम्बाला की सीमा में सम्मिलित करते हुए नगर निगम, अम्बाला शहर की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर: बिन्दु 'क' से प्रारम्भ करते हुये जोकि गांव डंगडेहरी हदबस्त संख्या 33 मुरब्बा संख्या 5 के उत्तर की ओर है, से सरहद के साथ-साथ अम्बाला कालका रेलवे लाईन तथा सड़क को पार करते हुए पूर्व की ओर पंजाब राज्य की सीमा के साथ-साथ जो कि गांव सदोपुर हदबस्त संख्या 32 तथा गांव काकरु की मुस्तिल संख्या 12, हदबस्त संख्या 31, इसके पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर मुस्तिल संख्या 25 तक, गांव मन्डोर हदबस्त संख्या 43 जोकि बिन्दु संख्या 'ख' है। इसके पश्चात् गांव मन्डोर हदबस्त संख्या 43, गांव बरनाला हदबस्त संख्या 48 तथा गांव गरनाला हदबस्त संख्या 44 को राजस्व के त्रिमिलन बिन्दु की ओर सेहददा व रक्षा विभाग, इसके पश्चात् गांव मण्डोर हदबस्त संख्या 43 की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ दक्षिण की ओर, इसके पश्चात् रक्षा भूमि सीमा के साथ चलते हुए, इसके पश्चात् गांव धूलकोट हदबस्त संख्या 60 के साथ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तक रक्षा भूमि के साथ, की सीमा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के उत्तरी बिन्दु तक दक्षिण की बिन्दु 'ग' है।

पूर्व: उपरोक्त वर्णित बिन्दु 'ग' से प्रारम्भ करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को पार करने के बाद दक्षिण की ओर, जण्डली पुल अम्बाला केन्टोनमेंट बोर्ड गांव जन्डली हदबस्त संख्या 113 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 2 गांव जण्डली हदबस्त संख्या 113 तक और इसके बाद गांव कांवला हदबस्त संख्या 110 की पूर्वी सीमा पर आयत संख्या 62 तक जोकि बिन्दु संख्या 'घ' है।

दक्षिण : उपरोक्त वर्णित बिन्दु 'घ' से प्रारम्भ करते हुए, इसके बाद पश्चिम की ओर गांव कांवला हदबस्त संख्या 110 की सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 43 गांव कांवला, हदबस्त संख्या 110 तक, उसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए आयत संख्या 19 गांव कांवला हदबस्त संख्या 110 तक, और उसके बाद गांव कांवली हदबस्त संख्या 111 की ओर पश्चिम की ओर आयत संख्या 18 गांव कांवली हदबस्त संख्या 111 तक, और उसके बाद बेचिराग मौजा गांव सराय महदूद हदबस्त संख्या 112 की सीमा के साथ-साथ चलते हुए आयत संख्या 3 तक, और उसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए गांव सौण्डा हदबस्त संख्या 114 की दक्षिण सीमा पर आयत संख्या 35 तक, और उसके बाद गांव नसीरपुर, हदबस्त संख्या 115 की आयत संख्या 19 तक जोकि बिन्दु संख्या 'ई' है।

पश्चिम : उपर वर्णित बिन्दु 'ई' से प्रारम्भ करते हुए उत्तर की ओर गांव नसीरपुर हदबस्त संख्या 115 तथा पंजाब राज्य की सीमा के साथ-साथ गांव सिंघावाला हदबस्त संख्या 56 गांव पत्ती अचारजां हदबस्त संख्या 56 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर पटियाला रोड को पार करते हुए, गांव कालू माजरा हदबस्त संख्या 51, गांव निहारसा हदबस्त संख्या 54 तथा इसके बाद गांव लिहारसा, हदबस्त संख्या 54 तथा गांव कलालां, हदबस्त संख्या 51 तथा पंजाब राज्य सीमा के त्रिमिलन बिन्दु की ओर चलते हुये, इसके बाद पंजाब राज्य सीमा से पंजाब राज्य की सीमा के साथ-साथ तथा गांव निजामपुर, हदबस्त संख्या 53, बान्ध तथा घग्गर नदी को पार करते हुए तथा अम्बाला अमृतसर रेलवे लाईन तथा सड़क को पार करते हुए पंजाब राज्य की सीमा के साथ-साथ गांव उडियाना, हदबस्त संख्या 36, तथा आयत संख्या 5 गांव डंगडेहरी हदबस्त संख्या 33 तक, जोकि बिन्दू संख्या 'क' है।

आन्नद एम. शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 26th July, 2019

No. 18/114/2019-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of the Section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana after consultation with the Municipal Corporation, Ambala hereby includes the adjoining 12 villages (11 Gram Panchayats) namely, Dangdehri, Nijampur, Manakpur, Lohgarh, Kalu Majra, Liharsa, Ghel Kalan, Ghel Khurd, Kanwala and Kanwali, Devi Nagar and Dadiana in the limits of existing Municipal Corporation, Ambala City with the boundaries as specified in the Schedule given below and excludes the area of Ambala Sadar Zone from the existing limits of Municipal Corporation, Ambala.

SCHEDULE OF BOUNDARIES

NORTH : Starting from point 'A' which is north side of Rect. No. 5 of Hadbast No. 33 of village Dangdehri along boundary of State of Punjab towards East crossing Ambala-Kalka Railway Line and Road along boundary of Village Saddopur Hadbast No. 32 and Mustil No. 12 of village Kakru, Hadbast No. 31; thence moving toward South East side upto Mustil No. 25 which is point 'B' Village Mandhaur Hadbast No. 43, thence moving upto the tri-junction point of revenue of village Mandore Hadbast No. 43, Village Barnala Hadbast No. 48 & Village Garnala Hadbast No. 44. Thence moving towards south along the Eastern revenue boundaries of village Mandhaur Hadbast No. 43, thence moving along the Defence land boundary thence moving along with Dhulkoat Village Hadbast No. 60 and along Defence Land up to the north point of NH-1 Highway thence moving towards South up to the north point of NH-1 which is point 'C'.

EAST : Starting the point 'C' mention above, moving in south side after crossing NH-1 Jandli flyover along with eastern boundary of Village Jandli Hadbast No. 113 up to Rect. No. 2 of Village Jandli Hadbast No. 113 and thence along the eastern boundary of village Kanwala, Hadbast No. 110, Rect. No. 62, which is point 'D'.

SOUTH : Starting the point 'D' mention above, thence moving towards the western side along the boundary of village Kanwala, Hadbast No. 110, upto Rect. No. 43, thence moving in north side upto rect. No. 19 of village Kanwala, Hadbast No. 110, thence moving along the boundary of village Kanwali, Hadbast No. 110 in Western side upto rect. No. 18 and thence moving along the boundary of Be Chirag Mauja Sarai Mahdood, Hadbast No. 112, rect. No. 3, thence moving in western side towards the south boundary of Village Sounda Hadbast No. 114 up to Rect. No. 35 then moving along the boundary of Village Nasirpur Hadbast No. 115 up to Rect. No. 19 which is Point 'E'.

WEST : Starting the point 'E' mention above, moving towards North along the western boundaries of village Nasirpur Hadbast No. 115 Vill. Singhawala Hadbast No. 56, Patti Acharjan Hadbast No. 56 along Punjab State boundary, Crossing Patiala Road, village Kalumajra, Hadbast No. 51, along the boundary of State of Punjab upto village Liharsa, Hadbast No. 54; thence moving towards the tri-junction point of village Liharsa Hadbast No. 54 and village Patti Kalalan, Hadbast No. 51, and Punjab State Boundary; thence moving towards Punjab State Boundary to village Nijampur, Hadbast No. 53, Crossing Bandh and Ghaghar river and then along with Punjab State boundary Crossing Ambala Amritsar Railway Line and Road along with Punjab State boundary and Village Dudiyaana Hadbast No. 36 thence moving along the Punjab State boundary and Village Dangdehri Hadbast No. 33 up to Rect. No. 5 which is point no. 'A'.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.